

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 19/2023-24

-:आदेश:-

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक- 608, दिनांक- 06.06.2023 से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. डिगर महतो, पिता- स्व0 बैजो महतो, 2. मोती लाल महतो, पिता- स्व0 कुन्जु महतो, 3. मुकेश कुमार महतो, पिता- स्व0 बहादुर महतो, 4. गिरीश महतो, पिता- स्व0 नान्हु महतो, सभी साकिम- डोमनपुर, थाना- राजगंज, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- डोमनपुर, मौजा नं0- 218, गत खाता सं0- 9, गत प्लॉट सं0- 1107, नया खाता सं0- 137, नया प्लॉट सं0- 1596, रकबा- 08 डिसमील भूमि क्रेता समरी देवी, पति- दौलत राम महतो, साकिम- बागदाहा, थाना- राजगंज, जिला- धनबाद, को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी हैं तथा दोनों एक ही थाना- राजगंज, जिला- धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास लगभग 4.32 एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।